न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 93/2025
प्रकरण दायर दिनांक 09.07.2025

उनवान

01. मुरारी लाल पुत्र गजानंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सकरेला की ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट

प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 10.07.2025

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जिसके खसरा नंबर 1345, 1676 में नामान्तकरण खुलवाया गया था। जो पहले माताजी रूकमणी के नाम थी अब उनकी मृत्यु होने के कारण उनके बेटो के नाम नामान्तकरण खुलवाया गया था जिनके वारिस ये है तीन बेटे बाबूलाल, मुरारी, मदनलाल व एक पुत्री भौरी था इन सभी के नाम नामान्तकरण खुलवाया गया था जो अभी 15,20 दिन पहले खुलवाया गया था जिस में दो बेटो का नाम गलत दर्ज हो गया है। जो जमाबंदी में मदनलाल दर्ज है जो गलत है इस के सभी डाक्यूमेन्ट में मगन है ज़ो सही है जमाबंदी में मदनलाल की जगह मगन करवाया जाये। और मुरारी का भी नाम गलत दर्ज हो गया है जब कि मेरा नाम मुरारी लाल होना चाहिये था। सभी डाक्यूमेन्ट में मुरारी लाल दर्ज है।

अतः हमारे द्वारा नामान्तकरण खुलवाया गया था जिसमें हम दो भाईयों का नाम गलत दर्ज है मदनलाल दर्ज हो गया है। जो कि गलत है उस मदनलाल नाम की जगह पर मगन दर्ज करने की कृपा करें और मुरारी की जगह पर मुरारी लाल दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नामान्तकरण संख्या 135 में सहवन से लिपिकीय भूल रह जाने के कारण मदन के बजाय मगन एवं मुरारी के बजाय

मुरारीलाल किया जाना वर्तमान जमाबंदी राजस्व ग्राम सकरेला की ढाणी के खाता संख्या 32, 91 में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न राजस्व दस्तावेजात का अवलोकन किया।

अतः प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व सलग्न राजस्व दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी राजस्व ग्राम सकरेला की ढाणी के खाता संख्या नया 32 पुराना 11 व खाता संख्या नया 91 पुराना 32 में दर्ज नाम मदनलाल पुत्र गजानंद को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मगन पुत्र गजानंद एवं मुरारी के स्थान पर मुरारी लाल पुत्र गजानंद दर्ज किया जाना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई रिकॉर्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

10/7/25

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

बांदीकुई (दौसा)

रा. मु. अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

मुरारीलाल .... बनाम .... सरकार

किस्म मुकदमा .... 136 LR Act .... नं० .... 93 .... सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09 07/25	प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी प्रा-पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act स्वयं न्यायालय उप० होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट तहसीलदार ली जाकर पत्रावली दिनांक 10/07/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
10 07/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप०। तहसीलदार बांदीकुई पैरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act पर बहस की गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया। अतः प्रार्थी प्रार्थना का अवलोकन करने एवं तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 10/7/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	